

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील /आरटीआई / 135 / 2019

श्रीमति खिल्ला गुर्जर भू0पू0 वार्ड पंच,ग्राम व पोस्ट विलोंद तहसील कामां

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 17.12.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त श्रीमति खिल्ला गुर्जर भू0पू0 वार्ड पंच,ग्राम व पोस्ट विलोंद तहसील कामां ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 09.09.2019 के द्वारा जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/1028 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/ 1201 दिनांक 16.12.2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/1201 दिनांक 16.12.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ने अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/1196 दिनांक 19.11.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलांत को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

